नवभारत छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bilaspur Main - 11 Jul 2024 - 11bsp7
epaper.navabharat.news

महादेव एप में हुई दसवीं गिरफ्तारी

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने महादेव ऑनलाइन एप घोटाले में संतोषी नगर निवासी किशन लाल वर्मा को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया। इस मामले को लेकर ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा अब तक दस आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से किशन लाल वर्मा को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन पेश किया गया। आवेदन में कहा गया है कि- आरोपी महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स को मिलने वाली रकम को फर्जी बिल, बैंक एंट्री दिखा कर वैध करने में सहयोग करता था। अभियुक्त की फर्म एस.के. इंटरप्राइजेस में भी अवैध हवाला रकम को बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से वैध किया गया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की ओर से उप संचालक अभियोजन मिथलेश वर्मा ने आरोपी को 19 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आवेदन पेश किया। इसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए किशन लाल वर्मा को 19 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश जारी किया। ईओडब्ल्यू-एसीबी में दर्ज महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले के सभी आरोपियों की भी न्यायिक रिमांड 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में अब तक राहुल वक्टे, रितेश यादव, भीम सिंह यादव, अमित अग्रवाल, चंद्रभूषण वर्मा, सुनील दम्मानी, सतीश चंद्राकर, अर्जुन यादव, नीतिश दीवान और किशन लाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है।

जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से केंद्र जारी करेगी राशि : खट्टर

केंद्रीय ऊर्जा,आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने की समीक्षा
बोले- केंद्र व राज्य के समन्वय से होगा विकास

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

केंद्रीय ऊर्जा,आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए अनेक अनुदान योजनाएं संचालित हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चल रही है, उन्होंने राज्य सरकार से सभी निधियों और अनुदानों का उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि जिस राज्य तेजी से राज्य में काम होंगे, उसी तेजी से केंद्र सरकार राशि जारी करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य की विकास योजनाओं में केंद्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नहीं आएगी, केंद्र और राज्य बेहतर समन्वय बनाकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह राज्य मंत्रालय (महानदी भवन) में सुबह ऊर्जा, आवास व शहरी जनसुविधाएं विकसित करने के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरूण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू और मुख्यसचिव अमिताभ जैन समेत राज्य शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि क्लीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बैठक में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक अनिता मीणा विशेष रूप से मौजूद रहें।

जल्द पावर सरप्लस स्टेट का दर्जा वापस पाएगा छत्तीसगढ़ : साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही पावर सरप्लस स्टेट का दर्जा वापस पा लेगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। किसानों को तीन एचपी तक के सिंचाई पंपों में सालाना 6000 यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में 7500 यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

केंद्र के सहयोग से कार्यों में आएगी तेजी : साव

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में स्वच्छता, आवास, आजीविका, पेयजल इत्यादि के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। इन कार्यों में प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

सरकार के खिलाफ रणनीति तय करने जुटे कांग्रेसी दिग्गज

बलौदा बाजार हिंसा कानून व्यवस्था पर संगठन को दिए सुझाव

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

विधानसभा घेराव समेत संगठनात्मक मसलों और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लंबे समय बाद जुटे। राजीव भवन में हुई बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। बलौदा बाजार हिंसा के मामले में सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को फंसाने और गिरफ्तारियों पर भी नाराजगी फूटी। इधर संगठनात्मक मसलों में पार्टी की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी बीच राजीव भवन में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक कमरा सुरक्षित रखने के मामले में भी वरिष्ठ नेताओं में तीखी बहस भी हो गई। हालांकि बाद में खुद नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने हस्तक्षेप कर मामले को खत्म किया।

राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में प्रदेश में मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए चिंता जताई गई। इसी बीच कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष के लिए भी एक कमरा सुरक्षित रखने का प्रस्ताव आ गया। इसे लेकर वरिष्ठ नेताओं में नियमों को लेकर बहस भी हो गई। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस कार्यालय में एक कमरा भी होना चाहिए ताकि वे समय-समय पर यहां आकर बैठ सकें। वहीं समन्वय से काम हो पाए। इस पर वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि पहले भी नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा नहीं रखा गया था। इसी बीच याद दिलाया गया कि पुराने भवन और राजीव भवन में भी पहले कमरा था लेकिन बाद में इसे किसी और को दे दिया गया। हालांकि खुद नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने हस्तक्षेप कर कहा कि हमें अन्य मुद्दों पर बात करनी चाहिए।

विधानसभा घेराव पर रायशुमारी

प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा घेराव को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने रणनीतियों पर चर्चा की। विधानसभा की तैयारी के लिए विधायक दल की बैठक में अलग मंत्रणा करने पर जोर दिया गया। घेराव के लिए लगभग 24 जुलाई की तिथि पर सहमति बनी है, हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा बाद में की जाएगी।

अफसर के नाम बनी कंपनी से करोड़ों का लेन-देन

दो कंपनियां बनाई गईं थी, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस
आईपी एड्रेस की मदद से आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास जारी

नवभारत ब्यूरो । रायपुर।

छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग में पदस्थ एक अधिकारी मनीष पाठक के नाम पर उनकी जानकारी के बगैर दो ऑनलाइन कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए के लेनदेन का मामला पुलिस के पास पहुंचा था। अधिकारी को इन कंपनियों की खबर आयकर विभाग से जारी नोटिस के बाद लगी। अब उनकी रिपोर्ट पर धोखाधड़ी के साथ-साथ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। एएसपी वेस्ट डी. आर. पोर्ते ने बताया कि एम्स हॉस्पीटल के पास रहने वाले मनीष पाठक की रिपोर्ट पर एफआईआर के बाद जांच भी शुरू कर दी गई है। उनके मुताबिक अफसर के आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग करके उनकी जानकारी के बगैर पाठक इंटरप्राइजेस और आयशा इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी बनाई गई है। उक्त कंपनी से दो करोड़ से ज्यादा का लेन-देन भी किया गया है।

ऑनलाइन ही दस्तावेज जुटाए जाने की आशंका

पुलिस के मुताबिक आयकर विभाग के जरिये जब इसका पता चला तो वे हैरत में डूब गए। आशंका है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी आईडी किसी फर्जीवाड़े के जरिये ऑनलाइन ही हासिल की गई होगी। जबकि दोनों शेल कंपनी लगती है। केवल रकम का ट्रांजेक्शन करने के लिए ही कंपनियों को बनाया गया। साइबर सेल के जरिये कंपनी बनाने वालों का पता लगाया जा रहा है।

रानू साहू को नहीं मिली जमानत

रायपुर। ईओडब्ल्यू-एसीबी की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए अपने आदेश में लिखा है- केस डायरी में उपलब्ध सामग्री से आरोपित अपराध में आवेदिका की प्रथम दृष्टया संलिप्तता होना दर्शित है। प्रकरण अभी अन्वेषण स्तर पर है। न्यायाधीश ने कहा कि आवेदिका को जमानत का लाभ दिए जाने पर अन्वेषण को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। ईओडब्ल्यू-एसीबी में कोयला घोटाले को लेकर दर्ज अपराध में आरोपी बनाए गए दीपेश टांक की ओर से बुधवार को विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया गया है।

छोटी बेटी ने तालाब में लगाई छलांग, मौत

घर में चल रही थी दो बेटियों व बड़े बेटे की शादी की तैयारियां

नवभारत रिपोर्टर। भिलाईनगर।

शादी के ठीक पहले छोटी बेटी ने तालाब में कूदकर जान दे दी। उसके बड़े भाई बड़ी बहन की भी शादी की तैयारी चल रही थी। यानी घर में एक साथ तीन शादी होने वाली थी। छोटी बेटी की खुदकुशी से पूरे परिवार में मातम फैल गया। खुदकुशी का कारण अज्ञात है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। ग्राम-मेडसरा राजेश जोशी के एक बेटे और दो बेटियां है। बड़े बेटे गजपाल की शादी आज को होने वाली थी। वहीं मंझली व छोटी बेटी तेजस्वनी की शादी 12 जुलाई को होने वाली थी। घर की पहली शादी होने के कारण बच्चों लेकर बड़े तक सभी बहुत खुश थे और तैयारियों में जुटे थे। 9 जुलाई की देर रात अचानक तेजस्वनी जोशी घर से गायब हो गई। बुधवार को सुबह उसकी तालाब में तैरती मिली। घटना की जानकारी लगते ही परिवार सदमें में है। वहीं पूरे गांव में मातम छा गया है। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वनी ऐसा कदम उठा लिया। इधर देर शाम सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव गांव पहुंची तो परिवार के सदस्यों की आंखे भर आई। गमगीन माहौल में परिजनों ने युवती का किया अंतिम संस्कार किया। खुदकुशी करने की वजह सामने नहीं आई है। 9 जुलाई की देर रात तक भाई के हल्दी कार्यक्रम में एक बजे तक तेजस्वनी साथ थी।

मारपीट से पत्नी की गई जान

रायगढ़। मारपीट से पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने हत्या छुपाने के लिए थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। महिला मायके जाने की जिद्द कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। जिससे आरोपी ने उससे मारपीट कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेजा है। जानकारी के अनुसार 08 जुलाई को थाना चक्रधरनगर में टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास रहने वाले प्रेम कुमार राठिया (28 साल) ने पत्नी की मौत के संबंध में सूचना दिया। उसने बताया कि महिला केवरा सारथी ऊर्फ संध्या 40 वर्ष को पति छोड़ देने से करीब 5 साल से दोनों पति-पत्नी की तरह रहते हैं । 07 जुलाई के शाम दोनों घर में खाना पीना किये और सो गये, सुबह केवरा बाई नहीं उठी । प्रेम राठिया ने केवरा बाई कि मौत शराब पीने से होना बताया।

ओव्हरटेक, हादसे में तीन की मौत

रघुनाथपूर/ बतौली। अंबिकापुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की रात ओव्हरटेक के चक्कर में हुए दो सड़क हादसे में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र में एक ट्रक को ओव्हरटेक करने के चक्कर में यात्री बस ट्रक से टकरा दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं बतौली थाना क्षेत्र में बाइक सवारों को ओव्हरटेक करते समय ट्रक ने कुचल दिया जिससे बाइक सवार एक युवक ने भी दम तोड़ दिया वहीं दोनों हादसे में एक दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई है। रघुनाथपुर चौकी के दरींडीह लुण्ड्रा मोड़ में मंगलवार की रात करीब सात से आठ बजे के बीच हुए आदसे के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक क्रमांक सीजी 07 सीएम 5411 रायगढ़ से कटनी जा रही थी जबकि बेदी यात्री बस क्रमांक सीजी 15 डीएच 0683 पत्थलगांव से अंबिकापुर की ओर आ रही थी रास्तें में दरींडीह के लुण्ड्रा मोड़ के समीप बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रक को ओव्हरटेक करने का प्रयास किया और बस का गेट की ओर का हिस्सा ट्रक से तेज रफ्तार से टकरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

मृत किसान के नाम 2.18 लाख का लोन

उदयपुर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

नवभारत ब्यूरो। अंबिकापुर।

उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया निवासी एक किसान के मृत पिता के नाम से उनके जमीन का फर्जी दस्तावेज लगा बैंक से लोन निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने ग्राम खुटिया निवासी रामअवतार की शिकायत पर आरोपी बलराम पिता बलदू राम निवासी मुटकी के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। धोखाधड़ी के शिकार रामअवतार ने पुलिस को बताया कि उन्हें इलाज के लिए रूपए की जरूरत थी जिससे उन्होंने अपनी हिस्से की पैतृक भूमि का सौदा तय करने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो स्टैंट बैंक की शाखा लखनपुर से पता चला कि आरोपी बलराम के द्वारा उनके जमीन संबंधी दस्तावेज के आधार पर बैंक से 2 लाख 18 हजार रूपए का लोन लिया गया है।

प्रथम पेज के शेष

तलाकशुदा मुस्लिम ...

समद ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और अदालत को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील वसीम कादरी की दलीलें सुनने के बाद 19 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में न्यायालय की सहायता के लिए उसने वकील गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2023 को समद की पत्नी को अंतरिम गुजारे भत्ते के भुगतान के संबंध में परिवार अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। हालांकि, उसने गुजारा भत्ता की राशि प्रति माह 20 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार कर दी थी, जिसका भुगतान याचिका दाखिल करने की तिथि से किया जाना था। उच्च न्यायालय से कोई राहत न मिलने पर समद ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

क्या है सीआरपीसी की धारा 125 : दरअसल पत्नी के गुजारे भत्ते का मामला भले ही सिविल श्रेणी में आता हो लेकिन इसे कानून में इसे अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में धारा 125 के रुप में जगह दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है जो अपना गुजारा चलाने में असमर्थ है, या फिर उसका वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या न हो, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तो वह गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा इसी धारा के तहत माता या पिता भी गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं।

हिंदू हिंसक होते..

खट्टर ने यह भी कहा कि 293 सीट को अल्पमत बताना कांग्रेस के झूठ बोलते की पॉलिसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने को ऐतिहासिक घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के समय लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चुनौतीपूर्ण नहीं होता था लेकिन आज चुनौती पूर्ण स्थितियों में श्री मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मायने रखता है। श्री खट्टर ने यह भी कहा कि दरअसल विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का भय सता रहा है यदि इनकी सत्ता रही, तो जातीय और सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर तुष्टिकरण की राजनीति का विपक्षी एजेंडा और मंसूबा पूरा नहीं होगा।

महिला से पुरुष ...

अनुकाथिर इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन में बीटेक हैं। साइबर लॉ व साइबर फोरेंसिक में पीजी डिप्लोमा भी किया है।

11 साल नौकरी करने के बाद बदला लिंग : मदुरै के रहने वाले एम अनुकाथिर सूर्या ने 11 साल की नौकरी के बाद अपना लिंग बदलवाया है। दोबारा नौकरी जॉइन करने से पहले उन्होंने अपना नाम और लिंग सरकारी रिकॉर्ड में भी बदलवा लिया। दिसंबर 2013 से मार्च 2018 तक उनकी तैनाती चेन्नई के तमिलनाडु में सहायक आयुक्त के पद पर थी। उसके बाद अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2023 तक तमिलनाडु में ही डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनाती रही। जनवरी 2023 में उनकी तैनाती हैदराबाद में संयुक्त आयुक्त के पद पर की गई। तब से वह इस पद पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट का एक दशक पुराना फैसला बना आधार : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) की याचिका पर करीब एक दशक पहले सुनाए ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। अपने इस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा था, यदि व्यक्ति लैंगिक पहचान के तहत यौन परिवर्तन ऑपरेशन कराता है और इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो उसकी नई लैंगिक पहचान को मान्यता देने में कोई कानूनी या अन्य बाधा नहीं होनी चाहिए।

भारत ने दुनिया ...

और समस्याओं का समाधान जंग के मैदान में नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस और ऑट्रिया की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को स्वदेश रवाना हो गए। पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, मैंने व चांसलर नेहमर ने यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया के हालात समेत विश्व में चल रहे विवादों पर विस्तार से बात की। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वह कहीं भी हो, मासूमों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑट्रिया शांति व स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर देते हैं। इसके लिए हम साथ मिलकर हरसंभव मदद करने के लिए तैयार हैं। हम दोनों आतंकवाद की सख्त निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के लिए सहमत हैं, ताकि उन्हें समकालीन और प्रभावी बनाया जाए। नेहमर ने कहा, भारत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और विश्वसनीय देश है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसकी भूमिका रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक तटस्थ व गैर नाटो देश के रूप में ऑट्रिया बातचीत और मध्यस्थता के लिए उपलब्ध है। भारत-ऑट्रिया के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं। विश्वास के रिश्ते की शुरूआत 1950 के दशक में हुई थी।

प्रपत्र-G

विल्सन्स रूफिंग प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड के लिए रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण बिलासपुर (छ.ग.) तथा कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में एसबेस्टस सीमेंट शीट का संचालन (इनसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इनसाल्वेंसी रिजाल्यूशन प्रोसेस फार कार्पोरेट पर्सन्स) रेग्युलेशन, 2016 के रेग्युलेशन 36A का सब-रेग्युलेशन (1) के तहत्)

संदर्भित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम PAN व CIN/LLP नं. सहित	विल्सन्स रूफिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार की संस्थापन की तिथि	23.08.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट देनदार संस्थापित/पंजीकृत है.	ROC, पुणे
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या/कार्पोरेट देनदार का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U26953PN2004PTC019669
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता	विल्सन्स टॉवर, 1220/47 ई-वार्ड पोपट राव जगदाले हॉल के सामने, राजारामपुरी, 1st लेन, कोल्हापुर- 416008, महाराष्ट्र
6.	वेबसाइट का URL	http://vilsonsroofingproduct.com/
7.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित है :	प्लाट नं.: 23,24,25 व 26 सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, तहसील बिल्हा, जिला -बिलासपुर, छत्तीसगढ़ प्लाट नं.: C-2/1, C-2 व C-2 (पार्ट) कागल हटकानगले फाइव स्टार इंडस्ट्रीयल एरिया, ग्राम- पट्टनकोडोली, तहसील-हटकानगले, जिला- कोल्हापुर, महाराष्ट्र
8.	आगे का विवरण, दो वर्षों का पिछला उपलब्ध वित्तीय विवरण सहित, क्रेडिटर्स की सूची URL में उपलब्ध है.	रूचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण के विवरण का संदर्भ निम्न वेब लिंक पर उपलब्ध: https://vilsonsroofingproduct.com/
9.	रिजाल्यूशन आवेदकों के लिए पात्रता, कोड की धारा 25(2)(h) के अंतर्गत, URL में उपलब्ध है.	रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण के विवरण का संदर्भ निम्न वेब लिंक पर उपलब्ध: https://vilsonsroofingproduct.com/
10.	इनसाल्वेंसी आरंभ तिथि	27.10.2023
11.	रूचि की अभिव्यक्ति के प्राप्त होने की अंतिम तिथि	26.07.2024
12.	भावी रिजाल्यूशन आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	05.08.2024
13.	अस्थाई सूची के लिए आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	10.08.2024
14.	भावी रिजाल्यूशन आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	20.08.2024
15.	भावी रिजाल्यूशन आवेदकों के लिए इंफर्मेशन मेमोरेन्डम जारी होने, इवाल्यूशन मैट्रिक्स तथा रिजाल्यूशन प्लान्स के लिए अनुरोध की तिथि	25.08.2024
16.	रिजाल्यूशन प्लान्स जमा करने की अंतिम तिथि	24.09.2024
17.	अनुमोदन के लिए न्याय निर्णय प्राधिकरण को CoC अनुमोदित रिजाल्यूशन प्लान जमा करने की अनुमानित तिथि	24.10.2024
18.	रिजाल्यूशन प्लान, इवाल्यूशन मैट्रिक्स, इंफर्मेशन मेमोरेन्डम तथा आगे की जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने का तरीका	संबंधित अंडरटेकिंग्स तथा रूचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तृत आमंत्रण में निर्दिष्ट अनुसार संलग्नकों सहित रूचि की अभिव्यक्ति जमा करना : cirp.vilsons@gmail.com पर
19.	रिजाल्यूशन प्रोफेशनल की रिजाल्यूशन प्लान्स जमा करने का तरीका	तरीका, पात्र भावी रिजाल्यूशन आवेदकों के लिए जारी किये जाने वाले रिजाल्यूशन प्लान के लिए अनुरोध (RFRP) में निर्धारित किया जाएगा.
20.	रिजाल्यूशन प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीयन क्रमांक	मिस. वंदना गर्ग, पंजीयन नं.: IBBI/IPA-001/IP-P00025/2016-17/10058
21.	रिजाल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल, बोर्ड में पंजीकृत अनुसार	मिस. वंदना गर्ग, Vskgarg0899@gmail.com यूनिट 307, तीसरी मंजिल, एक्समैलेन्शिया लोधा सुप्रीमस 2, वागले इस्टेट, पंचपाखडी, थाणे, महाराष्ट्र- 400604
22.	रिजाल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्र-व्यवहार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता तथा ई-मेल	मिस. वंदना गर्ग, cirp.vilsons@gmail.com यूनिट 307, तीसरी मंजिल, एक्समैलेन्शिया लोधा सुप्रीमस 2, वागले इस्टेट, पंचपाखडी, थाणे, महाराष्ट्र- 400604
23.	रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने के लिए प्रोसेस ई-मेल आईडी	cirp.vilsons@gmail.com

वंदना गर्ग
विल्सन्स रूफिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का रिजाल्यूशन प्रोफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P00025/2016-17/10058
यूनिट 307, तीसरी मंजिल, एक्समैलेन्शिया लोधा सुप्रीमस 2, वागले इस्टेट, पंचपाखडी, थाणे, महाराष्ट्र- 400604

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा

11 जुलाई से 24 जुलाई, 2024

विकसित भारत की नयी पहचान
परिवार नियोजन हर दम्पत्ति की शान

शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में नसबंदी उपरांत हितग्राहियों हेतु प्रावधानित प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि

अंतराल महिला नसबंदी	प्रसवोत्तर महिला नसबंदी	पुरुष नसबंदी
2000 रु.	3000 रु.	3000 रु.

सही उम्र में शादी करें, सोच समझ कर बच्चे
मिलकर ज़िम्मेदारी निभाएं, बनें पालक अच्छे

अस्थायी गर्भ निरोधक साधन छाया एवं अन्तरा को अपनाएं

अधिक जानकारी के लिए निकटतम शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें

सभी शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवार कल्याण के साधन जैसे पुरूष एवं महिला नसबंदी, निरोध, गर्भ निरोधक गोली, इंजेक्शन, कॉपर-टी की सुविधा उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र अथवा टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।

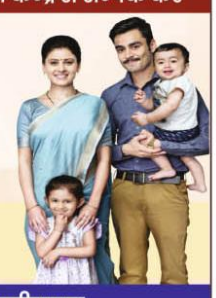

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़